न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः आशाराम डूडी, आर.ए.एस.)

अपीलार्थी

1. श्री कमलेश कुमार पुत्र पारसमल जी, जाति- सोनी, निवासी- शिवगंज, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही
2. श्री भरत कुमार पुत्र श्री रमेश कुमार, जाति- सोनी, निवासी- शिवगंज, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही
3. श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री गोरधनलाल, जाति- सोनी, निवासी- शिवगंज, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थी

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, शिवगंज, जिला- सिरोही

राजस्व अपील संख्याः 33/2018

"अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया, अपीलार्थीगण की ओर से

-: निर्णय :- दिनांक 13 जून, 2018

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थीगण की ओर से यह अपील तहसीलदार, शिवगंज द्वारा प्रकरण संख्या 75/2017 अर्न्तगत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 में पारित निर्णय दिनांक 16.2.2018 बाबत ग्राम शिवगंज, पटवार हल्का शिवगंज के खसरा संख्या 108 रकबा 1.11 बीघा किस्म बगीचा भूमि एवं खसरा संख्या 109 रकबा 0.05 बीघा किस्म आ.चा. भूमि का अपीलार्थीगण को अतिकमी मानते हुए मौके से बेदखल करके राज हक में कब्जा प्राप्त करने व जुर्माना आरोपित करने के आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को सम्मन जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई। प्रकरण में बहस हेतु नियत दिनांक 13.6.2016 को पेरोकार सरकार (तहसीलदार, सिरोही) आवश्यक राजकीय कार्यो में व्यस्त होने से उपस्थित नही हुये।

(3) अपीलार्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, शिवगंज में हल्का पटवारी, शिवगंज द्वारा इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि ग्राम शिवगंज के खसरा संख्या 108 रकबा 1.11 बीघा व खसरा संख्या 109 रकबा 0.05 बीघा किस्म भूमि बगीचा व आ.चा. राजस्व रेकर्ड अनुसार बिलानाम दर्ज है तथा मौके पर अपीलार्थीगण का अतिक्रमण है। हल्का पटवारी की रिपोर्ट पर अपीलार्थीगण के विरुद्ध अतिक्रमण बाबत

.....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

प्रकरण दर्ज किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, शिवगंज द्वारा हल्का पटवारी, शिवगंज की रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थीगण को उक्त भूमि का अतिक्रमी घोषित करते हुए मौके से बेदखल करने व जुर्माना आरोपित करने का निर्णय दिनांक 16.2.2018 को पारित किया है, जो विधि विरुद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर गौर नही किया कि उक्त भूमि राजस्व भूमि नही होकर नगरपालिका क्षेत्र में स्थित आबादी भूमि है व उक्त भूमि का मौके पर आबादी के रुप में उपयोग हो रहा है। उक्त भूमि का सिरोही स्टेट के समय शाह देवीचन्द, ताराचन्द, मगनलाल, शांतिलाल, रकबदास, लालचन्द जी के नाम से पट्टा संख्या 83, तहवील नम्बरी-20, सर्वे संख्या 623 दिनांक 18.4.1945 को जारी किया हुआ है, इस पट्टे में अंकित नाप अनुसार उक्त सम्पूर्ण की लम्बाई पूर्व तरफ 178.03 फीट व पश्चिम तरफ 184 फीट तथा चौडाई उत्तर तरफ 174.03 फीट व दक्षिण तरफ 165.06 फीट अर्थात् उक्त पट्टेशुदा भूमि का कुल क्षेत्रफल 30768.07 वर्गफीट है। उक्त पट्टा सिरोही स्टेट के समय में जारी हुआ है, जो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 लागू होने से पूर्व का है। उक्त अधिनियम लागू होने के पूर्व उक्त भूमि आबादी भूमि थी, जो कस्बा शिवगंज के आबादी क्षेत्र में स्थित है। उक्त भूमि पर सिरोही स्टेट के समय से उक्त पट्टाधारी व उनके वारिसान काबिज होकर उपयोग व उपभोग कर रहे है। उक्त पट्टा शुदा भूमि से लगती हुई दो अलग-अलग भू पट्टी का नगरपालिका मण्डल, शिवगंज द्वारा (अ) एक भू पट्टी लम्बी 8 फीट एवं चौडी 89 फीट कुल 712 वर्गफीट व दूसरी भू पट्टी लम्बी 7 फीट व चौडी 22 फीट कुल 154 वर्गफीट अर्थात् उक्त दोनों भू पट्टी कुल क्षेत्रफल 866 वर्गफीट भूमि का उक्त पट्टा संख्या 83 के पट्टधारकों के वारिसानों के पक्ष में पट्टा संख्या 24/99-2000 पत्रावली संख्या 88/98-99 को जारी किया गया है जिसका नगरपालिका, शिवगंज द्वारा उप पंजीयक कार्यालय, शिवगंज में दिनांक 14.6.1999 को पंजीयन करवाया गया है। इस प्रकार, उक्त सम्पूर्ण आबादी भूमि पट्टेशुदा व भू पट्टी खरीदशुदा भूमि का कुल क्षेत्रफल 31634.07 वर्गफीट होता है। उपरोक्त भूमि के पट्टाधारकों व भू पट्टी के पट्टाधारकों ने उक्त भूमि का नक्शा बनाया है, जिसमें से अपीलार्थीगण ने उक्त वर्णित आबादी भूमि पट्टेशुदा व भू पट्टी का निस्फ हिस्सा भाग संख्या 9 का 1 व 2 हिस्सा जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख के रमेश पुत्र ताराचन्द, संजय पुत्र पारसमल, मंजुलादेवी पत्नि बसंत कुमार, राहुल पुत्र बसंत कुमार, चन्द्रावती पत्नि मगनलाल, शैलेष पुत्र मगनलाल, शांति पत्नि शान्तिलाल, दिनेश, निलेश पुत्रगण शान्तिलाल, मुली पत्नि पारसमल, आनन्द पुत्र पारसमल, राजेश पुत्र मगनलाल, अशोक पुत्र शान्तिलाल, मोहनी बाई पत्नि ताराचन्द, मुकेश पुत्र ताराचन्द, राकेश पुत्र बसंत, इन्दरमल पुत्र देवीचन्द, जातिगण- जैन निवासी- शिवगंज से स्वयं व आम मुख्यतयार के जरिये दिनांक 12.7.2011 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था, जिसका पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय, शिवगंज में हुआ है। अपीलार्थीगण द्वारा क्रय की गई भूमि क्षेत्रफल 2112 वर्गफीट व क्षेत्रफल 1122 वर्गफीट है तथा उक्त क्रय की गई भूमि पर अपीलार्थीगण विधिक रुप से काबिज होकर उपयोग व उपभोग बतौर स्वामी कर रहे है। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा कि अपीलार्थीगण द्वारा 2112 वर्गफीट व 1122

.....पेज तीन पर

जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

वर्गफीट भूमि ही क्रय की गई है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने सम्पूर्ण भूमि के संबंध में अपीलार्थीगण के विरुद्ध कार्यवाही अमल में लाई है, जो विधि सम्मत नही है। उक्त सम्पूर्ण भूमि के पट्टाधारकों व भू पट्टी के पट्टाधारकों द्वारा उक्त सम्पूर्ण भूमि का नक्शा बनाकर अलग अलग हिस्सों में अन्य व्यक्तियों को भी भूमि का बेचान किया गया है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उन व्यक्तियों के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नही की है। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा कि पूर्व में किसी व्यक्ति द्वारा उक्त भूमि के संबंध में शिकायत की गई थी। जिस पर तहसीलदार, शिवगंज व हल्का पटवारी शिवगंज ने मौके व रेकर्ड अनुसार जांच कर तहसीलदार, शिवगंज के पत्र क्रमांक/सर्तकता/12/20 दिनांक 04.1.2012 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, शिवगंज को प्रेषित रिपोर्ट में अपीलार्थीगण व पट्टाधारकों को उनकी पट्टेशुदा आबादी भूमि पर काबिज होना बताया गया था व भूमि नगरपालिका के क्षेत्राधिकार की होना बताया था, उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत जवाब एवं उक्त समस्त दस्तावेजों पर गौर किये बिना ही केवल हल्का पटवारी, शिवगंज की रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थीगण को उक्त सम्पूर्ण भूमि का अतिक्रमी मानने में भूल की है। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा कि इस न्यायालय द्वारा भी तहसीलदार, शिवगंज से उक्त पट्टा संख्या 83 के संबंध में मौके व रेकर्ड अनुसार रिपोर्ट तलब की जाने पर तहसीलदार, शिवगंज द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत रिपोर्ट में भी यह स्पष्ट रुप से अंकित किया गया है कि उक्त पट्टा विवादित भूमि का ही है तथा पट्टों में दर्ज नाप व चतुर्दशी विवादित भूमि के मौके व रेकर्ड अनुसार मिलान खाती है। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा कि उक्त भूमि नगरपालिका क्षेत्र में स्थित है जिसका अपीलार्थीगण द्वारा नगरपालिका, शिवगंज को गृह कर व विकास कर अदा किया जा रहा है। उक्त भूमि नगरपालिका क्षेत्र में स्थित होने से अधीनस्थ न्यायालय को उक्त भूमि के संबंध में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही करने का अधिकार नही है। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने विधिक दृष्टान्त RRT 2003(2) Page 1303, RLW 2006(1) RJ Page 158-160, RLW (raj.) 1995 Page 223 में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अपीलार्थीगण अपने पट्टेशुदा भूमि पर बतौर स्वामी विधिक रुप से काबिज है, जिससे अपीलार्थीगण को उक्त भूमि का अतिक्रमी नही माना जा सकता है एवं न ही अपीलार्थीगण के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। अतः अपीलार्थीगण की अपील को स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.2.2018 को निरस्त किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि हल्का पटवारी, शिवगंज द्वारा संवत 2074 में अपीलार्थीगण के विरुद्ध ग्राम शिवगंज, पटवार हल्का शिवगंज के खसरा संख्या 108 रकबा 1.11 बीघा किस्म बगीचा व खसरा संख्या 109 रकबा 0.05 बीघा किस्म आ.चा. भूमि अतिक्रमण बाबत रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण के

....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

जिला कलक्टर सिरोही (राज.)

विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किये गये। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण की ओर से अपीलार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा लिखित जवाब मय दस्तावेजों के प्रस्तुत किया गया।

अपीलार्थीगण की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत जवाब में यह उल्लेख किया गया है कि उक्त भूमि सरकारी भूमि नही है, अपितु शिवगंज नगरपालिका क्षेत्र में स्थित आबादी भूमि है, जिसका सिरोही स्टेट के समय शाह देवीचन्द, ताराचन्द, मगनलाल, शांतिलाल, रकबदास, लालचन्द जी के नाम से पट्टा संख्या 83, तहवील नम्बरी 20, सर्वे संख्या 623 दिनांक 18.4.1945 को जारी किया हुआ है, इस पट्टे में अंकित नाप अनुसार उक्त सम्पूर्ण भूमि की लम्बाई पूर्व तरफ 178.03 फीट व पश्चिम तरफ 184 फीट तथा चौडाई उत्तर तरफ 174.03 फीट व दक्षिण तरफ 165.06 फीट अर्थात् उक्त पट्टेशुदा भूमि का कुल क्षेत्रफल 30768.07 वर्गफीट है। अपीलार्थीगण की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत उक्त जवाब में यह भी उल्लेख किया हुआ कि उक्त पट्टा शुदा भूमि से लगती हुई दो अलग-अलग भू पट्टी का नगरपालिका मण्डल, शिवगंज द्वारा (अ) एक भू पट्टी लम्बी 8 फीट एवं चौडी 89 फीट कुल 712 वर्गफीट व दूसरी भू पट्टी लम्बी 7 फीट व चौडी 22 फीट कुल 154 वर्गफीट अर्थात् उक्त दोनों भू पट्टी कुल क्षेत्रफल 866 वर्गफीट भूमि का उक्त पट्टा संख्या 83 के पट्टधारकों के वारिसानों के पक्ष में पट्टा विलेख संख्या 24/99-2000 पत्रावली संख्या 88/98-99 को जारी किया गया है जिसका नगरपालिका, शिवगंज द्वारा उप पंजीयक कार्यालय, शिवगंज में दिनांक 14.6.1999 को पंजीयन करवाया गया है। इस प्रकार, उक्त सम्पूर्ण आबादी भूमि पट्टेशुदा व भू पट्टी खरीदशुदा भूमि का कुल क्षेत्रफल 31634.07 वर्गफीट होता है। उपरोक्त भूमि के पट्टाधारकों व भू पट्टी के पट्टाधारकों ने उक्त भूमि का नक्शा बनाया है, जिसमें से अपीलार्थीगण ने उक्त वर्णित आबादी भूमि पट्टेशुदा व भू पट्टी का निस्फ हिस्सा भाग संख्या 9 का 1 व 2 हिस्सा जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख के रमेश पुत्र ताराचन्द, संजय पुत्र पारसमल, मंजुलादेवी पत्नि बसंत कुमार, राहुल पुत्र बसंत कुमार, चन्द्रावती पत्नि मगनलाल, शैलेष पुत्र मगनलाल, शांति पत्नि शान्तिलाल, दिनेश, निलेश पुत्रगण शान्तिलाल, मुली पत्नि पारसमल, आनन्द पुत्र पारसमल, राजेश पुत्र मगनलाल, अशोक पुत्र शान्तिलाल, मोहनी बाई पत्नि ताराचन्द, मुकेश पुत्र ताराचन्द, राकेश पुत्र बसंत, इन्दरमल पुत्र देवीचन्द, जातिगण- जैन निवासी- शिवगंज से स्वयं व आम मुख्यतयार के जरिये दिनांक 12.7.2011 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था, जिसका पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय, शिवगंज में हुआ है। अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जवाब के साथ सिरोही स्टेट द्वारा जारी उक्त पट्टा संख्या 83 दिनांक 18.4.1945, नगरपालिका, शिवगंज द्वारा समीपवर्ती भू पट्टी का जारी विक्रय विलेख संख्या 99-2000/24 दिनांक 14.6.1999 व अपीलार्थीगण द्वारा उक्त भूमि में से क्रय की गई 2112 वर्गफीट व 1122 वर्गफीट भूमि के पंजीकृत विक्रय विलेख संख्या 2011002916 दिनांक 12.7.2011 की फोटो प्रतियां भी प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण में अपीलार्थीगण की ओर से इस न्यायालय में प्रस्तुत उक्त सनद (पट्टा) संख्या 83 दिनांक 18.4.1945 (जो सिरोही स्टेट द्वारा श्री शाह देवीचन्द, ताराचन्द,

.....पेज पांच पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

मगनलाल, शांतिलाल, रकबदास, लालचन्द के नाम से जारी किया हुआ है) के संबंध में इस न्यायालय द्वारा तहसीलदार, शिवगंज से मौके व रेकर्ड अनुसार जांच रिपोर्ट तलब की गई। जिस पर तहसीलदार, शिवगंज के पत्र क्रमांक/राजस्व/2018/919 दिनांक 23.4.2018 से हल्का पटवारी, शिवगंज द्वारा तहसीलदार, शिवगंज को प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 18.4.2018 को मूल ही इस न्यायालय में अग्रेषित किया गया। हल्का पटवारी, शिवगंज की उक्त रिपोर्ट दिनांक 18.4.2018 में यह अंकित किया गया है कि अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही के न्यायालय में दर्ज राजस्व अपील संख्या 33/2018 में वादी द्वारा प्रस्तुत सनद् (पट्टा) संख्या 83 दिनांक 18.4.1945 की रेकर्ड व मौके से जांच की गई। प्रस्तुत पट्टे में वर्णित सम्पति को ''सर्वे नम्बर 623 की बगीची'' नाम से इंगित किया गया है, जिसका नाप कुल 30768.06 वर्गफीट अंकित है। पट्टे में चतुर्दशी अनुसार उत्तर में आम सड़क, दक्षिण में आम सड़क, पूर्व में बगीचा व अस्पताल सरकारी व पश्चिम में खालसाई गली अंकित है। मोके अनुसार उत्तर व दक्षिण में रास्ते व पश्चिम में आम गली है तथा पूर्व में दादावाडी सैकण्डरी स्कूल स्थित है। दादावाडी स्कूल संचालित होने से पूर्व इस स्थान पर सरकारी अस्पताल संचालित था जिसका चतुर्दशी में वर्णन है। हल्का पटवारी, शिवगंज की उक्त रिपोर्ट दिनांक 18.4.2018 में यह भी अंकित किया गया है कि राजस्व रेकर्ड अनुसार खसरा संख्या 108 रकबा 1.11 बीघा किस्म बगीचा व खसरा संख्या 109 रकबा 0.05 बीघा किस्म आ.चा. कुल रकबा 1.16 बीघा ग्राम शिवगंज में स्थित है। खसरा संख्या 108 व 109 का कुल क्षेत्रफल वर्गफीट में 31363.2 वर्गफीट होता है। प्रस्तुत पट्टे का क्षेत्रफल 30768.06 वर्गफीट है जो करीब करीब खसरा संख्या 108 व 109 के कुल क्षेत्रफल से मिलान खाता है। हल्का पटवारी, शिवगंज की उक्त रिपोर्ट दिनांक 18.4.2018 में यह भी अंकित किया हुआ है कि पट्टे की चतुर्दशी में पूर्व दिशा में सरकारी अस्पताल अंकित है तथा राजस्व रेकर्ड अनुसार खसरा संख्या 108 व 109 की पूर्व दिशा में खसरा संख्या 107 रकबा 2.12 बीघा किस्म हॉस्पिटल दर्ज है। इस प्रकार सनद (पट्टा) संख्या 83 दिनांक 18.4.1945 में वर्णित सम्पति ग्राम शिवगंज के खसरा संख्या 108 व 109 कुल रकबा 1.16 बीघा से मिलान खाती है।

प्रकरण में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि तहसीलदार, शिवगंज के पत्र क्रमांक:सतर्कता/12/20 दिनांक 04.1.2012 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, शिवगंज को प्रेषित रिपोर्ट में यह अंकित किया गया है कि पालिका क्षेत्र में दादावाडी स्कूल के पास ख.सं. 108 व 109 कुल रकबा 1.16 बीघा बिलानाम भूमि के खाते में दर्ज है, जो नगरपालिका क्षेत्र में स्थित है। तहसीलदार, शिवगंज के उक्त पत्र दिनांक 04.1.2012 के अनुसार बगीची भूमि का वर्ष 1945 में सिरोही रियासत द्वारा पट्टा (सनद) संख्या 83 दिनांक 18.4.1945 को शिवगंज निवासी शाह देवीचन्द, ताराचंद, मगरनलाल जैन इत्यादि को जारी किया था। उक्त भूमि पर पुराना परकोटा बना हुआ मौके पर मौजूद है। तहसीलदार, शिवगंज के उक्त पत्र दिनांक 04.1.2012 में यह भी अंकित किया गया है कि पट्टाधारी के वारिसानों द्वारा विक्रय विलेख संख्या 2011002916 दिनांक 12.7.2011 से श्री कमलेश कुमार पुत्र पारसमलजी, राजेन्द्र पुत्र गोरधनलालजी, भरतकुमार पुत्र रमेश कुमार जी, जातिगण- सोनी, निवासी-

.....पेज छः पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

शिवगंज को बेचान की गई है जिस पर खरीददारों का कब्जा है। तहसीलदार, शिवगंज के उक्त पत्र दिनांक 04.1.2012 में यह अंकित किया गया है कि उक्त भूमि से लगती हुई भू पट्टी को नगरपालिका, शिवगंज द्वारा पत्रावली संख्या 98-99 पट्टा संख्या 99-2000/24 दिनांक 14.6.1999 से श्रीमती मोहनीबाई पत्नि ताराचंदजी जैन व अन्य, निवासी- शिवगंज को पट्टा विलेख से दी गई थी जिसको उपरोक्त कब्जेधारी को बेचान किया जाने से खसरा संख्या 108 व 109 व भू पट्टी सहित सम्पूर्ण कब्जा खरीददार जाति सुनारों के पास है एवं खसरा संख्या 109 में कुआं स्थित है जो ढह जाने से समतल हो चुका है। पुराने स्टेट समय के पट्टेशुदा भूमि मय कुआं व नगरपालिका द्वारा आवंटन शुदा भू पट्टी सहित सम्पूर्ण उक्त भूमि खरीददारों के पास कब्जे में है, जो नगरपालिका के क्षेत्र में स्थित है। तहसीलदार, शिवगंज के उक्त पत्र दिनांक 04.1.2012 में यह भी अंकित किया है कि उक्त भूमि कस्बा शिवगंज में अम्बिका चौक से आगे दादावाडी स्कूल से लगती हुई होकर चारों ओर परकोटे से निर्मित है जो जैनों की बगीची के नाम से सम्बोधित की जाती थी पास में दादावाडी स्कूल संचालित है।

इस प्रकार, यह तथ्य स्पष्ट है कि एक तरफ, तहसीलदार, शिवगंज द्वारा विवादित भूमि को उक्तानुसार पट्टेशुदा भूमि होना बताया जा रहा है तथा वही दूसरी तरफ, तहसीलदार, शिवगंज द्वारा विवादित भूमि पर अपीलार्थीगण का अतिक्रमण होना मानते हुए अपीलार्थीगण के विरुद्ध धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही अमल में लाई गई है। इससे यह भलीभांति स्पष्ट है कि अधीनस्थ तहसीलदार, शिवगंज ने उक्त सभी तथ्यों एवं दस्तावेजों पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों अनुसार अपीलार्थीगण ने उक्त सम्पूर्ण भूमि में से क्षेत्रफल 2112 वर्गफीट व 1122 वर्गफीट कुल क्षेत्रफल 3234 वर्गफीट भूमि ही उक्त पंजीकृत विक्रय विलेख संख्या 2011002916 दिनांक 12.7.2011 के द्वारा की गई है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, शिवगंज द्वारा उक्त खसरा संख्या 108 रकबा 1.11 बीघा व 109 रकबा 0.05 बीघा कुल किता 2 रकबा 1.16 बीघा भूमि पर अपीलार्थीगण का कब्जा मानते हुए धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही अमल में लाई है। इससे यह भी स्पष्ट है कि अधीनस्थ तहसीलदार, शिवगंज द्वारा मौके व रेकर्ड की सम्पूर्ण जांच सही रुप से जांच किये बिना एवं अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है।

अत: अपीलार्थीगण की अपील को स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, शिवगंज द्वारा प्रकरण संख्या 75/2017 में पारित निर्णय दिनांक 16.2.2018 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, शिवगंज को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि नये सिरे से मौके व रेकर्ड अनुसार सम्पूर्ण जांच करके व अपीलार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय सुनाया गया।

13.06.18

(आशाराम डूडी)
अति. जिला कलेक्टर, सिरोही